# अध्याय : एक

# प्रस्तावना एवं शोध प्रविधि

## 1.1 प्रस्तावना

भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में महिलाएं हिंसा का शिकार हो रही हैं। महिलाओं पर हिंसा सभी वर्गों एवं समाजों में व्याप्त है। पितृसत्ता के अंतर्गत औरतों पर नियंत्रण रखने और उन्हें दबाने के लिए अनेक प्रकार की हिंसाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर जीवन में ऐसे अंतर्विरोध सामने आते हैं, जिससे यह समझ पाना मुश्किल होता है कि इस दुनिया को किस नजरिये से देखा जाए। ये अंतर्विरोध दो दुनियाओं के फर्क को बड़ी बेरहमी से हमारे सामने ले आते हैं और नये सिरे से सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सारी स्त्रियां पुरुष सत्ता या वर्चस्व की शिकार होती ही हैं या उनका एक खास हिस्सा ही इससे पीड़ित है? कहीं स्त्रियां पुरुष उत्पीड़न की सीधे शिकार हैं, तो कहीं वह पुरुष वर्ग की आकांक्षाओं के अनुरूप विमर्श की सामग्री तैयार करती हुई पुरुषवादी एजेंडे को ही मजबूत बनाने की कवायद में लगी हुई हैं। नारीवादी सिद्धांतकार मरिया मीस ने कहा है कि वर्ग एवं समाज ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को मान्यता देने के लिए और उसे जायज ठहराने के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा निर्मित किया है। कानून, राज्य, धर्म, परिवार, जाति व्यवस्था, मीडिया आदि ऊपरी ढांचे के ये सारे तत्त्व महिलाओं पर हिंसा को जायज ठहराते हैं। लगभग नब्बे के दशक के बाद तेजाबी हमला एक हथियार के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। हत्या के सभी औजारों में यह सबसे सस्ता, घातक और आसानी से उपलब्ध हथियार है। आज सहशिक्षा बढ़ने और जीवन शैली में आधुनिकता का बोलबाला होने के साथ ही हम देख सकते हैं कि आम लड़कियों में जहां अपने जीवन और उसके निर्णयों के प्रति जागरूकता बढ़ी है, वहीं लड़कों में उनके वजूद को लेकर एक नकार की भावना पनप रही है। आज लड़कियाँ कैरियर,

प्रेम, और शादी जैसे मसले पर स्वयं निर्णय लेने और नापसंदगी को जाहिर करने में अपनी झिझक से बाहर आ रही हैं जो लड़कों को नागवार गुजर रहा है और वे तेजाबी हमले जैसे कठोर और सबसे वीभत्स तरीके अपनाने लगे हैं जो महिलाओं के प्रति हिंसा का सबसे विकृत रूप है। एसिड[1] हमलों का स्वरूप ऐसा होता है कि पीड़ित व्यक्ति का चेहरा और शरीर नष्ट हो जाता है और साथ ही उनके आत्मविश्वास, जीवन शक्ति, सामाजिक सहभागिता आदि को बड़ी गहराई से प्रभावित करता है। महिलाओं पर हिंसा के ऐसे अत्यधिक उग्र प्रकार समाज में पितृसत्तात्मक संबंधों के फैलाव और हिंसा के नए रूप को दर्शाते हैं। शर्मीला रेगे ने मराठी पुस्तिका *''प्रेमाचा अधिकार आणी हिंसे चे प्रश्न''* में इस समस्या को समाज में सामंती शक्तियों तथा भूमंडलीकरण द्वारा लाये गए परिवर्तनों के साथ सीधे जोड़ा है। आज महिलाओं पर हिंसा के रूपों का एक वैश्विक एवं स्थानीय स्वरूप एक नए सामाजिक यथार्थ की उग्र परिघटना बन रहा है। स्थानीय पितृसत्ताएं अपने विशिष्टताओं के साथ जुड़कर वैश्विक बन रहीं है। एसिड अटैक एक ऐसी ही दक्षिण एशियाई परिसंघटना है। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में भी एसिड अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं। ''बांग्लादेश में वर्ष 2002 में Acid Control Act 2002 और Acid Crime Prevention Acts 2002' के तहत एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद तेजाबी हमलों का प्रतिशत एक चौथाई रह गया है।[2]

लॉ कमीशन ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट नं. 226 के अनुसार ज्यादातर तेजाबी हमले में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है तथा युवा महिलाएं ही इसका शिकार होती हैं। ऐसी घटनाएं सार्वजनिक स्थानों या घर में होती हैं। चाहे वो ''हसीना

[1] एसिड ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ है जिसे तेजाब के नाम से भी जाना जाता है। यहां एसिड शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वर्तमान में हो रही इस हिंसा को मीडिया,समाचार पत्रों आदि में एसिड अटैक के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता हैं. 'एसिड अटैक' शब्द की सामान्य समझ के कारण यहां इस शब्द का प्रयोग किया है।

[2] एसिड अटैक और प्रेम की प्रति हिंसा : सुधा अरोरा, (http://raviwar.com), देखा गया 10/04/14, 15:58 बजे

हुसैन का केस हो जो 1999 में एसिड अटैक का शिकार हुई, जिसने उसके पूरे चेहरे को जला दिया। लगभग छ: लाख रूपये के खर्च से अट्ठारह ऑपरेशन के बावजूद भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पायी।"[3] रिंकू पाटिल, अमृतादेशपांडे जैसी तमाम लड़कियां जो एसिड अटैक की शिकार हुई। "अभी हाल के दिनों में 18 जुलाई 2013 को देश की सर्वोच्च अदालत ने एसिड पीड़ित एक लड़की लक्ष्मी द्वारा 2006 में दायर जनहित याचिका पर ऐतिहासिक फैसला करते हुए आई.पी.सी. में संशोधन करते हुए 326(ए) और 326(बी) का प्रावधान किया। जिसके तहत एसिड अटैक से पीड़ित को तीन लाख का मुआवजा देने और फोटो पहचान पत्र देखकर ही तेजाब बिक्री का आदेश दिया।"[4] बावजूद इसके ये हमले नहीं रुक रहे, निर्णय आने के बाद भी गाजियाबाद उत्तरप्रदेश की निशा जैसी कई लड़कियां एसिड अटैक की शिकार हो रही हैं। इससे यह भी जाहिर हो रहा है कि इन नियमों का कितनी कड़ाई से पालन किया जा रहा है। स्त्रियों के लिए लगातार भयावह होती जा रही इस दुनिया के बारे में गंभीरता से सोचना आज का सबसे जरूरी सवाल है। ऐसी घटनाओं को बार-बार दोहराया क्यों जा रहा है और कानून की सख्ती के बावजूद अपराधी बेलगाम क्यों हुए जा रहे हैं? इन संदर्भों को दृष्टिगत रखते हुए "महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में एसिड अटैक" विषय पर एक विशद अध्ययन किया गया है।

इस शोध में कुछ विशेष संदर्भों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। वे शब्द अध्ययन के क्रम में जहां पहले आए हैं, वहीं यथा संभव उनके सामान्य अर्थों को शोधार्थी द्वारा फुट नोट के माध्यम से दिया गया है।

[3] the hindu 15.08.2004

[4] दैनिक भास्कर ,8 sep 2013 (नागपुर)

## 1.2 शोध परिचय

उपरोक्त तथ्यों और सैद्धांतिक पक्षों के अध्ययन के पश्चात यह आवश्यक जान पड़ता है कि हिंसा के इस वीभत्स रूप की पड़ताल की जाए और एक सैद्धांतिक ढांचा बनाया जाए। मेरा यह शोध इस दिशा में एक छोटी सी पहल है। इस लघु शोध को पूरा करने के लिए इसे पांच अध्यायों में विभाजित किया गया है जिसमें पहला 'प्रस्तावना एवं शोध प्रविधि', दूसरा 'सैद्धांतिक पृष्ठभूमि', तीसरा अध्याय 'एसिड से लिखी इबारत : दुनियाबी तस्वीर',चौथा 'एसिड अटैक : कुछ आपबीती, कुछ जगबीती' रखा गया है तथा अध्याय पांच विश्लेषण है। इन सभी अध्यायों का विवरण सैद्धांतिक पृष्ठभूमि वाले अध्याय में किया गया है।

## 1.3 शोध उद्देश्य

स्वाभाविक है कि प्रत्येक मानवीय प्रयास के मूल में कोई न कोई प्रयोजन या उद्देश्य अवश्य निहित होता है। सामाजिक अनुसंधान भी इसी प्रकार का एक प्रयास है। जिसमें सामाजिक घटनाओं या समस्याओं का किसी विशेष उद्देश्य के लिए अध्ययन किया जाता है। इस शोध का उद्देश्य महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा में एसिड अटैक के कारण एवं प्रभावों का अध्ययन करना है। मुख्य रूप से इस शोध के माध्यम से पीड़ित महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, एवं मानसिक स्थिति तथा उनकी समाज में सहभागिता का भी अध्ययन करना है। शोध उद्देश्य को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

- एसिड अटैक की बढ़ती घटनाओं के विभिन्न कारणों का अध्ययन करना।
- सामाजिक संरचना में सम्मान, शर्म, वर्चस्व के नाम पर इस प्रकार की हिंसा के प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन।

- एसिड अटैक को रोकने के लिए बने कानून और उनके प्रभावों का अध्ययन।
- एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन करना।

## 1.4 शोध उपकल्पना

सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के लिए शोध उपकल्पना की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी शोध कार्य अथवा अध्ययन को आरंभ करने से पहले उस कार्य के विभिन्न पक्षों पर आधारित सहज ही एक अनुमान या उपकल्पना का बोध होता है। इसका उद्देश्य आगामी अध्ययन के लिए एक निश्चित दिशा का निर्धारण करना होता है। **गुडे** तथा **हाट** ने लिखा है, " *उपकल्पना सिद्धांत और अनुसंधान के बीच की एक आवश्यक कड़ी है जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायता देती है*।"[5] स्पष्ट होता है कि शोध उपकल्पना मात्र एक ऐसा आधार प्रस्तुत करती है जिसकी मदद से सत्य की खोज में आगे बढ़ा जा सकता है।

शोध की विषय वस्तु एवं उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा शोध कार्य पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपकल्पना की गयी है-

- एसिड अटैक जेंडर[6] आधारित हिंसा है।
- यह पितृसत्तात्मक सोच और संस्कृति का परिणाम है।
- एसिड अटैक की ज्यादातर घटनाएं एकतरफा प्रेम संबंधों के मामले में होती हैं।
- यह वर्चस्व और सम्मान बनाये रखने के लिए की जाती है।
- यह पहले से सोच समझकर की जाने वाली हिंसा है।

[5] अग्रवाल, जी. के. एवं डॉ., पाण्डेय, शील रूप ; सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (2007), पृ. 25

[6] जेन्डर शब्द स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक भेदभाव को दिखाता है।

## 1.5 शोध की प्रवृत्ति

प्रस्तुत शोध की प्रवृत्ति विश्लेषणात्मक एवं विवरणात्मक है। जिसके अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा को एक नारीवादी पद्धति से देखने तथा उसके कारणों को जानने के लिए व्यवस्थित अध्ययन किया गया है। मुख्य रूप से वर्तमान में हिंसा के विभिन्न रूपों में जो सबसे वीभत्स रूप सामने आ रहा है वह है एसिड अटैक। एसिड अटैक जैसी हिंसा को कई आयामों से समझने के साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही बहसों को भी एक सीमा तक क्रमबद्ध किया गया है। इस शोध के नतीजों के माध्यम से समाज में महिलाओं पर हो रही हिंसा और शोषण की परंपरा पर चोट कर एक समतामूलक समाज बनाने की प्रक्रिया में एक कदम बढ़ाना है।

## 1.6 शोध की सीमा

कोई भी कार्य हो उसकी अपनी सीमा होती है। जब हम समाज और मानव जीवन से जुड़ी किसी घटना या समस्या का सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं, तो कुछ समस्याएं अवश्य होती हैं। महिलाओं की समस्याओं पर केंद्रित हो तो पता चलता है, आज समाज में महिलाएं कई प्रकार की हिंसा और शोषण का सामना कर रही हैं। पिछले 10 वर्षों से महिलाओं पर एसिड फेंक कर हिंसा को अंजाम दिए जाने की घटना में क्रमिक बढ़ोत्तरी हो रही है। इस हिंसा का दंश पीड़ित ताउम्र झेलती है। यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है। शोध की समय सीमा के अंतर्गत अधिक पीड़ितों से मिलना संभव नहीं था क्योंकि पहली बात एसिड पीड़ित के बारे में जानकारी की कमी होती है तथा बहुत पीड़ित महिलाएं न बाहर निकलती हैं और न ही किसी से मिलना चाहती हैं। पीड़ितों से बात-चीत करते समय बहुत सावधानी भी बरतनी होती है।

इस लघु शोध में घटना अध्ययन तथा तथ्य संकलन, प्राप्त सरकारी, गैर सरकारी आंकड़ों और स्वेच्छा से शामिल पीड़ितों, उनके नजदीकियों आदि से हुई बात-चीत पर आधारित है। इस लघु शोध की कुछ और भी सीमाएं हैं जो निम्नलिखित हैं।

० समय और सीमित संसाधन भी शोध की सीमा रही है।

० शोध विषय से संबंधित अधिकतर साहित्य इंगलिश माध्यम में ही प्राप्त हो पाए।

० किसी एक विशेष क्षेत्र का चुनाव नहीं किया गया है।

इस विषय पर शोध करना ही सबसे पहली चुनौती है। परंतु शोधार्थी द्वारा इस चुनौती को स्वीकार करते हुए महिलाओं पर हो रही एसिड अटैक के रूप में हिंसा पर अध्ययन किया गया है।

## 1.7 शोध की नैतिकता

समाज विज्ञान के शोध में नैतिकता का होना आवश्यक पहलू है। इस शोध में सहभागिता लेने वाली एसिड पीड़ित महिलाओं, विशेषज्ञों तथा अन्य लोगों की जो अपना सहयोग इस शोध ग्रंथ के लिए करेंगे उनके सुविधानुसार उनकी गोपनियता तथा पहचान को सीमित रखना ही शोध की नैतिकता है।

## 1.8 शोध की प्रासंगिकता

मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार प्रस्तुत शोध संभवतः इस विषय पर नारीवादी दृष्टिकोण से किया जाने वाला हिन्दी माध्यम में पहला शोध है। इसके अंतर्गत हिंसा की संस्कृति, मनोविज्ञान, और उसकी राजनीति की बहस शामिल है। मुख्य रूप से वर्तमान में

महिलाओं पर हो रही एसिड हमलों से जुड़े विभिन्न सैद्धांतिक और कानूनी सुधारों को शामिल किया है। एसिड सरवाइवर[7] महिलाओं से उनकी शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक सहभागिता की यथास्थिति जानने की कोशिश भी की गई है। हिंदी में होने के कारण इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है।

## 1.8.1 राष्ट्रीय प्रासंगिकता

इस लघु शोध के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा को विविध आयामों से देखने की कोशिश की गई है। ऐसी मानसिकता का विकसित हो जाना कि व्यक्ति की कुंठा और निराशा की परिणति किसी महिला पर एसिड फेंक देने जैसे अमानवीय कृत्य के रूप में सामने आना सामाजिक समस्या का परिचायक है। इस शोध में इन समस्याओं के पीछे की संरचना को समझने के लिए उन सामाजिक संस्थाओं का भी अध्ययन किया गया है, जिनका समाजिक व्यवस्था के निर्माण में अहम भूमिका होती है। जैसे- परिवार, धर्म, राज्य तथा पितृसत्ता आदि जो पूरी सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं। इन विभिन्न आयामों से ऐसी हिंसा के मूल में इस शोध के माध्यम से जानने का प्रयास शोधार्थी द्वारा किया है। भारत में एसिड अटैक की घटनाओं से पीड़ितों का वैयक्तिक अध्ययन कर उन परिस्थितियों और कारणों को भी जाना गया है। इन बिंदुओं को शामिल करते हुए यह शोध किया गया है। जिससे यह शोध राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रासंगिक है।

## 1.8.2 अंतरविषयक प्रासंगिकता

इस शोध में महिलाओं पर हो रही हिंसा को ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक तथा कला एवं संगीत आदि विषयों के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा गया है। इनमें पुरुषवादी वर्चस्व और परंपरा का भी आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन कर शामिल

[7] समान्यतः 'सरवाइवर' शब्द का प्रयोग किसी घटना से बचने के बाद जीवित रहने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है।

किया गया है। इस प्रकार देखा जाय तो इस शोध की एक अंतरविषयक प्रासंगिकता भी बनती है।

उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि यह शोध उन तमाम शोधार्थियों, छात्रों तथा जनसामान्य के लिए उपयोगी है जो महिलाओं पर हो रही हिंसा तथा उसके क्रूरतम रूप एसिड अटैक के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों को जानना और समझना चाहते हैं । साथ ही इस विषय को जानने में रुचि रखने वालों के लिए भी यह ग्रंथ उपयोगी सिद्ध होगा। इन्हीं बातों से इस शोध विषय के चुनाव की प्रासंगिकता या महत्त्व सिद्ध होता है।

## 1.9 शोध प्रविधि

मानव ही ऐसा प्राणी है, जो अपने चारों ओर की सभी घटनों को जानने समझने का प्रयत्न करता है और साथ ही इसके लिए सिद्धांतों अथवा नियमों को ढूँढने के लिए प्रेरित होता है। *"मानव की जिज्ञासा का आधार चाहे प्राकृतिक दशाएं हों या सामाजिक जटिलताएं, इससे संबंधित ज्ञान का स्पष्टीकरण करना तथा प्राप्त ज्ञान का सत्यापन करना ही अनुसंधान है।"*[8] तार्किकता और बौद्धिकता पर आधारित होने के कारण शोध भी एक चिंतन प्रणाली है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शोध एक अनुशासित अध्ययन प्रणाली है।

शोध-प्रविधि शोध का तकनीकी पक्ष होता है जो शोधार्थी की बौद्धिकता से जुड़कर शोध का अंतर्वरती तत्व बन जाता है। शोध-प्रविधि में तकनीकों के मानकीकरण की प्रेरणा निहित होती है।

[8] अग्रवाल, जी. के. एवं डॉ., पाण्डेय, शील रूप ; सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (2007), पृ. 1

**मोजर** के अनुसार- *"सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित अनुसंधान को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं।"*[9]

## 1.9.1 नारीवादी शोध प्रविधि

नारीवादी शोध प्रविधि ज्ञान उत्पादन की एक नई परंपरा है जो प्रत्यक्षवाद तथा खंडित ज्ञान की आलोचना करते हुए समग्र ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। मुख्यतः द्वितीय लहर के नारीवाद[10] का ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि किस प्रकार विचार प्रक्रिया तथा ज्ञान की परंपरा ने स्त्रियों के हितों एवं उसकी अस्मिता को लगातार हाशिए पर धकेला है। इसे तोड़ने और समझने के लिए नई ज्ञान मीमांसा की आवश्कता महसूस की गई। जिसमें स्त्रियों के अनुभवों को शामिल किया जाय। अर्थात नारीवादी शोध एक ऐसे ज्ञान रूपी भवन का निर्माण करना चाहता है जिसमें ज्ञान का वर्चस्व न रहे सबको अपने-अपने अधिकारों और भूमिकाओं का पूरा सम्मान मिले।

("*Feminist research is primarily "connected in principle to feminist struggle" (Sprague & Zimmerman, 1993, p. 266). By documenting women's lives, experiences, and concerns, illuminating gender-based stereotypes and biases, and unearthing women's subjugated knowledge, feminist research challenges the basic structures and ideologies that oppress women.*"[11])

[9] श्रीवास्तव, ए. आर. एन. एवं सिनहा, आनंद कुमार ; सामाजिक अनुसंधान, के. के. पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद (प्रथम संस्करण : 1999), पृ. 21

[10] नारीवाद राजनैतिक आंदोलन का एक सामाजिक सिद्धांत है जो स्त्रियों के अनुभवों से जनित है तथा मूल रूप से यह सामाजिक संबंधो से अनुप्रेरित है। (विकिपीडिया)

[11] Brooks, Abigail ; Hesse-Biber, Sharlene Nagy*: An Invitation To Feminist Research,* (01-Hesse-Biber&Leavy-45085.qxd 10/24/2006 5:14 PM Page 1)

नारीवादी शोध का सिद्धांत मुख्य रूप से नारीवादी आंदोलनों से जुड़ा है। इसमें महिला के जीवन, अनुभवों, सरोकार, जेंडर आधारित भेद-भाव एवं रूढ़िवादियों को समाप्त करना और महिलाओं के दबे ज्ञान को उजागर करना आदि शामिल है। नारीवादी शोध उन सामान्य संरचनाओं और विचारधारा को चुनौती देता है जो महिलाओं को दबाने का कार्य करते हैं।

नारीवादी शोध पद्धति मुख्यतः तीन बातों से सामाजिक शोध पद्धति से अलग है-

- यहां शोधार्थी और जिसके साथ शोध किया जा रहा है उसके बीच सत्ता संबंध नहीं होते हैं।
- यह शोध पद्धति सामाजिक गैरबराबरी को खत्म करने की विचार धारा से प्रेरित होती है।
- यह महिलाओं के जीवन वृत्त एवं अनुभवों से किया जाता है।

## 1.9.2 प्रमुख आंकड़ा स्रोत

इसके अंतर्गत पुस्तकें, जर्नल, समाचार पत्र, सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं की रिपोर्ट और उनकी साइट तथा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त आर. टी. आई., पीड़ित/ विशेषज्ञों का साक्षात्कार तथा प्रश्नावली आदि।

### 1.9.3 गुणात्मक स्रोत

सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय गुणात्मक स्रोत का उपयोग करना महत्त्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत ऐसे स्रोत का उपयोग किया गया है जिसका विश्लेषण उसके गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर किया जा सके।

### 1.9.4 परिमाणात्मक स्रोत

इसके अंतर्गत मुख्यतः ऐसे स्रोतों का उपयोग किया जाता है जिनसे संख्यात्मक आंकड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे- एसिड अटैक की घटनाओं से संबन्धित आंकड़ों को जानने के लिए ऐसी विधि का प्रयोग किया जाना जिससे पीड़ितों की संख्या का बोध हो सके परिमाणात्मक स्रोत के तहत आता है।

## 1.10 आंकड़ा/ तथ्य संकलन

सामाजिक अनुसंधान मूलतः व्यवस्थित तरीके से तथ्य संकलन एवं विश्लेषण की प्रक्रिया है। शोध लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विश्वसनीय एवं उपयुक्त तथ्यों का संकलन आवश्यक होता है। शोध में तथ्यों की उपयोगिता, उसकी विश्वसनीयता एवं उपयुक्तता पर निर्भर करती है। किसी भी शोध में आंकड़ों या तथ्यों के संकलन की मुख्यतः दो पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है।

### 1.10.1 प्राथमिक आंकड़ा /तथ्य संकलन पद्धति

शोधार्थी द्वारा शोध संबंधित समस्या के विषय में जिन स्रोतों से प्रथम बार सूचनाएं एकत्रित करता है उसे तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। पी. वी. यंग के अनुसार- " प्राथमिक तथ्य सामग्री सबसे प्रथम स्तर पर एकत्र की जाती है एवं उसके संकलन

तथा प्रकाशन का उत्तरदायित्व उस व्यक्ति पर रहता है, जिसने मौलिक रूप से उन्हें एकत्र किया हो।"[12] शोधार्थी द्वारा प्राथमिक आंकड़ों के संकलन हेतु प्रश्नावली, साक्षात्कार, विशेषज्ञों (डॉक्टर, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि) से वार्तालाप तथा टेलीफोन साक्षात्कार आदि तकनीकी का प्रयोग किया गया है।

## 1.10.2 द्वितीयक आंकड़ा /तथ्य संकलन पद्धति

सामाजिक शोध में द्वितीयक स्रोत भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि प्राथमिक स्रोत। द्वितीयक स्रोतों के द्वारा ही एक शोधार्थी उन महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन करता है जो प्राथमिक तथ्यों की परीक्षा करने और अध्ययन की दिशा का निर्माण करने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। पी. वी. यंग. ने लिखा है कि-" द्वितीयक सामग्री (या तथ्य) वह है, जिसे मौलिक स्रोत से पहले ही संकलित किया गया था और जिसे प्रकाशित या लागू करने का कार्य करने वाला व्यक्ति उससे भिन्न है, जिसने उसे प्रथम बार एकत्र किया था।"[13]

शोधार्थी द्वारा द्वितीयक आंकड़ों के संकलन हेतु शोध से संबंधित साहित्य, दृश्य श्रव्य माध्यम (फिल्म, डाक्यूमेंटरी आदि), इंटरनेट, सरकारी एवं गैरसरकारी रिपोर्ट आदि का इस्तेमाल किया गया है।

## 1.11 आंकड़ों/तथ्यों का विश्लेषण

तथ्य संकलन के बाद इसका विश्लेषण शोध कार्य का महत्त्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि अव्यवस्थित आंकड़ों/तथ्यों को उनके विभिन्न गुणों के

[12] श्रीवास्तव, ए. आर. एन. एवं सिनहा, आनंद कुमार ; सामाजिक अनुसंधान, के. के. पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद (प्रथम संस्करण : 1999), पृ. 103

[13] श्रीवास्तव, ए. आर. एन. एवं सिनहा, आनंद कुमार ; सामाजिक अनुसंधान, के. के. पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद (प्रथम संस्करण : 1999), पृ. 104

आधार पर भली-भांति संपादन कर उन्हें विभिन्न श्रेणियों तथा सारणियों में विभाजित करके उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए।

### 1.11.1 वर्गीकरण एवं विश्लेषण

वर्गिकरण और विश्लेषण  शोध की ऐसी प्रक्रिया है जो एक दूसरे का पूरक होते हैं। वर्गीकरण की प्रक्रिया जितनी सूक्ष्म और वैज्ञानिक होगी विषय विश्लेषण उतना ही युक्ति संगत होगा। इस शोध में तथ्यों को गुणात्मक और परिमाणात्मक आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है।

### 1.11.2आरेखीय/सारणीयन प्रविधि

आंकड़ों के विश्लेषण में तालिका और ग्राफ का प्रयोग कर आंकड़ों को सरलीकृत तरीके से विश्लेषित किया गया है।

## 1.12 साहित्य पुनरावलोकन

### 1.12.1 हिंसा का मनोविज्ञान

- डॉ. सुलैमान, मुहम्मद; *उच्चतर समाज मनोविज्ञान*, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली 2012.

इस पुस्तक में सामाजिक मनोविज्ञान के विविध आयामों पर विस्तृत जानकारी निहित है। इसमें मनोवृत्ति, पूर्वाग्रह और विभेदन की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई है। संस्कृति और व्यक्तित्व के अंतर्संबंध की मनोवैज्ञानिक व्याख्या से इस बात की पुष्टि की गई है कि मनुष्य के जीवन पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। फ्रायड, लोरेंज, फेल्डमैन, जिलमैन तथा ग्रिफिट जैसे मनोवैज्ञानिक चिंतकों के सिद्धांतों को शामिल करते हुए हिंसा तथा

आक्रामकता के मनोविज्ञान को समझाया गया है। इस पुस्तक में लैंगिक पहचान और भूमिका को प्रभावित करने वाले जैविक एवं सामाजिक कारकों के बारे में विश्लेषण किया गया है। लैंगिक पूर्वाग्रह, भेदभाव आदि के मनोविज्ञान पर भी बात हुई है। यह पुस्तक सामाजिक हिंसा के मनोविज्ञान को समझने के लिए उपयोगी है। इस पुस्तक में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मनोविज्ञान पर सीमित बात हुई है।

## 1.12.2 महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

- *Patriarchal violence – An attack on human security* **by** Government offices of Sweden, EO-Print, Stockholm, Sweden 2005

पितृसत्तात्मक हिंसा और अत्याचार के प्रतिरोध को जानने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया सर्वेक्षण है। जो मुख्यतः ऑनर (इज्जत) के नाम पर महिला, समलिंगी, उभयलिंगी तथा विपरीतलिंगी पर किया जाता है। इस पुस्तक में पितृसत्तात्मक हिंसा को सामाजिक और आर्थिक संरचना में भी देखने की कोशिश की गई है। इसमें इस बात को रेखांकित किया गया है कि मिथकीय मान्यताएं पुरुषों के लिए फायदे की चीज है इसके माध्यम से भी पितृसत्तात्मक हिंसा को आधार मिलता है। 1995 में बीजिंग में महिलाओं और लड़कियों पर हो रही हिंसा पर केंद्रित विश्व महिला सम्मेलन का भी जिक्र किया गया है। पितृसत्तात्मक हिंसा की संरचना को समझने के दृष्टिकोण से यह आलेख बहुत ही उपयोगी है।

- जॉन, मैरी ई. एवं नायर, जानकी; (अनु. दुबे, अभय कुमार) : वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2008.

इस पुस्तक में आधुनिक भारत में यौनिकता के मुद्दों पर बहस और विमर्श को भारतीय ग्रामीण समाज से महानगरीय परिदृश्य तक लाया गया है। महिला आंदोलनों की स्त्री की यौनिकता जैसे मुद्दे को उठाने पर आलोचना भी की गई। इस पुस्तक में यौनिकता और सांस्कृतिक संहिताओं की जटिलताएं जैसे- इज्जत, प्रेम, पारंपरिक मान्यताओं और जातिगत मान्यताओं आदि का हवाला देकर महिलाओं पर की जा रही हिंसा के मुद्दे को तत्परता के साथ रेखांकित किया गया है। साथ ही फिल्म, टीवी एवं अश्लीलता की भी आलोचनात्मक व्याख्या की गई है। इस पुस्तक में महलाओं की दैहिक एवं यौनिक हिंसा पर सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक पक्षों को देखते हुए महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया गया है। जो महिलाओं की यौन सुचिता के इर्द-गिर्द हो रही हिंसा को समझने के लिए सहायक है।

## 1.12.3 एसिड अटैक की घटनाओं संबंधी साहित्य

- Welsh, Jane; *"It was like burning in Hell":A Comparative Exploration of Acid Attack Violence*; Chapel Hill 2009;UNC Global

जेन वेल्श द्वारा किया गाय यह शोध एसिड अटैक के रूप में हो रही हिंसा के विविध आयामों को रेखांकित करता है। इसमें एसिड अटैक को एक क्रूरतापूर्ण एवं परपीड़नात्मक हिंसा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें एसिड अटैक जैसी घाटना और उसके सामाजिक सांस्कृतिक आदि प्रभावों का अध्ययन किया गया है। वेल्श ने भारत, कंबोडिया और बांग्लादेश में एसिड अटैक की घटनाओं की ऐतिहासिकता से लेकर वर्तमान परिस्थितियों तक को शामिल करने की कोशिश की है इसे रोकने के लिय बनाए गए कानून का भी अध्ययन किया है। साथ ही एसिड सरवाइवर के लिए कार्य कर रहे विभिन्न संस्थाओं

का भी परिचय दिया है। इस प्रकार एसिड अटैक के रूप में हो रही हिंसा को समझने और जानने के लिए यह ग्रंथ बहुत ही उपयोगी लगा।

- Law Commission of India; Report no 226: july 2009

एसिड अटैक जैसी हिंसा को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखते हुए पीड़ित के कल्याण और अपराधी को कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए भारतीय दंड संहिता में इसके लिए विशेष कानून बनाने के संबंध *लॉ कमीशन ऑफ इंडिया* द्वारा जुलाई 2009 में यह रिपोर्ट आई। जिसमें एसिड अटैक पीड़ित लक्ष्मी द्वारा 2006 में दायर जनहित याचिका का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में एसिड अटैक से पीड़ितों पर पड़ने वाले शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों को भी दर्शाया गया है। विभिन्न देशों में एसिड संबंधी कानूनों की समीक्षा कर भारत ऐसे कानून के न होने पर चिंता व्यक्त की गई है। इसमे राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा " नेशनल एसिड अटैक विक्टिम असिस्टेंस बोर्ड" बनाने की अपील को भी कोट किया गया है। यह रिपोर्ट भारत में एसिड अटैक के रूप में हो रही हिंसा का एक आधार भी प्रस्तुत करती है। शोध दृष्टि से यह महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट रही है।

## 1.12.4 विभिन्न फिल्मों / डाक्यूमेंटरी फिल्मों का विश्लेषण एवं समीक्षा

- "*Saving Face*", 2012 Oscar winning documentary on acid attacks in Pakistan, Director-*Daniel Junge and Sharmeen Obaid-chinoy*, Initial release : March 8, 2012

यह डाक्यूमेंटरी फिल्म पाकिस्तान में एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं की व्यक्तिगत कहानी पर बनी है। इसे वर्ष 2012 में डाक्यूमेंटरी फिल्म के लिए एकेडमी अवार्ड मिला है। यह ओबेड

चीनोय की 16वीं डाक्यूमेंटरी फिल्म है। इसमें 39 वर्षीय पाकिस्तानी महिला जाकिया की कहानी है जिस पर उसके पति ने तलाक की मांग पर एसिड फेंक दिया था, दूसरी 23 वर्षीय रुखसाना हैं जो अपने पति द्वारा एसिड अटैक का शिकार हुईं। इस फिल्म में पाकिस्तान की पितृसत्तात्मक संस्कृति को दिखाया गया है। इसमें पीड़ित की सर्जरी और पीड़ित की अन्य समस्याओं को जीवंत दिखाया गया है एसिड हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कितने कष्ट सहने पड़ते हैं साथ ही पीड़ितों को न्याय के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। यह फिल्म एसिड अटैक पीड़ित की समस्याओं को दिखाने के साथ ही ऐसी क्रूर हिंसा के प्रति संवेदनशील बनाते हुए ऐसे हिंसात्मक कदम न उठाए जाने के लिए प्रेरित करती है।

# अध्याय-पांच

## विश्लेषण

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अंततः असमानताओं, सामाजिक-सांस्कृतिक जटिलताओं, वर्चस्ववादी संस्कृतियों तथा पितृसत्तात्मक मान्यताओं की एक धारा है। जिसके अंतर्गत महिलाएं लगातार हिंसा का शिकार होती रही हैं। बलात्कार, यौन शोषण, घरेलू हिंसा के साथ ही हिंसा के अन्य प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपों में महिलाएं प्रताड़ित होती रही हैं और यह प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है। इन हिंसाओं में महिला के शरीर को ही निशाना बनाया जाता रहा है, जिसका प्रभाव उसके शरीर के साथ ही जीवन के अन्य हिस्से पर भी पड़ता है। इन दिनों हिंसा का एक वीभत्स रूप एसिड अटैक के रूप में बहुत तेजी से सामने आया है। जो महिला के शरीर को नष्ट करने या विकृत करने की प्रवृत्ति का ही विस्तार है। आज एसिड अटैक की घटनाएं शहरों के साथ-साथ कस्बों और गांवों में भी देखने-सुनने को मिल रही हैं, जो हिंसा के क्रूरतम रूपों में एक है।

प्रस्तुत शोध महिलाओं के विरुद्ध एसिड अटैक के रूप में हो रही क्रूरतम हिंसा की बढ़ती घटनाओं, उसके कारणों और इसके सामाजिक एवं व्यक्तिगत (पीड़ित) स्तर पर होने वाले प्रभावों को जानने समझने के उद्देश्य से किया गया है। एसिड का शुरुआती उपयोग औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता था। कम पैसे और आसानी से उपलब्ध यह खतरनाक तीव्र ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ घरों तक पहुँचकर हिंसा का हथियार बन गया। 20वीं सदी तक आते-आते पश्चिमी देशों तथा 60 के दशक के बाद से 21वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों तक दक्षिण एशियाई देशों में महिलाओं पर एसिड अटैक जैसे मामले तेजी से बढ़ने लगे। इस समय कुछ स्थितियाँ एक साथ समानांतर चल रही थीं। एक तरफ औद्योगीकरण के साथ ही महिलाएं भी नौकरी पेशा करने लगीं जिससे उनकी आर्थिक स्वायत्तता बढ़ने लगी वे घर से

बाहर आने लगीं, महिला आंदोलन भी इसी दौर में व्यापक रूप ले रहा था। ऐसी स्थिति में महिलाओं पर एसिड अटैक कर चेहरे और अन्य हिस्से को बदसूरत और विकृत कर देना कहीं-न-कहीं महिलाओं की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को घरों तक सीमित कर पितृसत्तात्मक वर्चस्व को कायम रखने की राजनीति जान पड़ती है।

शोध के दौरान प्राप्त तथ्यों और आंकड़ों का अध्ययन करने के पश्चात ज्ञात होता है कि एसिड अटैक पीड़ितों में सबसे अधिक संख्या महिलाओं की ही होती है, जिनमें से अधिकतर 35 वर्ष से कम उम्र में ही इसका शिकार होती हैं। संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने जेंडर आधारित हिंसा को व्याख्यायित करते हुए कहा है कि निजी या सार्वजनिक जीवन में किसी महिला के साथ किया गया कोई भी कृत्य, जिससे उसको शारीरिक, मानसिक या यौनिक स्तर पर हानि पहुंचे या उसकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता को बाधित करे। इससे स्पष्ट होता है कि एसिड अटैक जेंडर आधारित हिंसा का ही एक रूप है।

हिंसा की सैद्धांतिकी और मनोविज्ञान का अध्ययन करते हुए स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की हिंसक मनोरचना का निर्माण उसकी संस्कृति, सामाजिक परिवेश और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण से होता है। महिलाओं पर हो रही एसिड अटैक की घटना पितृसत्तात्मक संस्कृति और वर्चस्व को बनाए रखने के लिए किया जाता है, ऐसा अध्ययन से पता चलता है। लक्ष्मी, सोनाली मुखर्जी से हुई बात-चीत तथा अन्य एसिड अटैक की घटनाओं के अध्ययन से यह बात भी निकलकर आई कि एसिड अटैक जैसी हिंसक वारदात सुनियोजित तरीके से की जाती है। भारतीय संदर्भ में देखा जाय तो एसिड अटैक की घटनाएं अधिकतर एकतरफा प्रेम संबंधी विवादों में होती है लेकिन प्रीती राठी और चेन्नम्मा देवे गौड़ा के मामले को देखने से लगता है कि यह प्रेम संबंधों से इतर भी जेंडर आधारित हिंसा के अन्य रूपों में सामने आ रहा है।

# संदर्भ ग्रंथ सूची

## हिंदी की पुस्तकें


- अग्रवाल, जी. के. ; डॉ. पाण्डेय, शील रूप. (2007). *सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ*. साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा
- आर्य,साधना; मेंनन, निवेदिता ; लोकनीता, जिनी. (2010). *नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे*. हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली वि.वि.
- कुमार, राधा.(सिंह, रमा शंकर अनु.). (2009). *स्त्री संघर्ष का इतिहास*.वाणी प्रकाशन, दिल्ली
- ख़ानकाही,निश्तर ; डॉ. अग्रवाल, गिरिराजशरण . (2003). *हिंसा कैसी कैसी*. डायमंड पाकेट बुक्स (प्रा.) लि., नई दिल्ली
- जॉन, मैरी ई. ; नायर, जानकी. ( दुबे, अभय कुमार अनु.). (2008). *कामसूत्र से 'कामसूत्र' तक*. वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
- झा,विश्वनाथ. (2010). *समाजशास्त्र*. दरियागंज, दिल्ली
- डॉ. सुलैमान, मुहम्मद. (2012). *उच्चतर समाज मनोविज्ञान*. मोतीलाल बनरसीदास, दिल्ली
- डॉ.,दुबे, श्यामचरण. (1998). *मानव और संस्कृति*. राज कमाल प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली
- डॉ. पाण्डेय, गणेश. (2008). *भारतीय सामाजिक व्यवस्था*. राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
- डॉ. जोशी, गोपा. (2006). *भारत में स्त्री असमानता*. हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली वि. वि., नई दिल्ली
- प्रो., प्रसाद,कमला ; शर्मा,राजेंद्र.(2004) *स्त्री: मुक्ति का सपना*. वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
- प्रो. शुक्ला, आशा ; त्रिपाठी, कुसुम. (2014). *स्त्री संघर्ष के मुद्दे (भारतीय एवं पाश्चात्य संदर्भ)*. महिला अध्ययन विभाग बरकतुल्ला वि. वि., भोपाल

- भसीन, कमला ; शिवपुरी,वीणा(अनु.). (2007). *पितृसत्ता क्या है ?*. जगोरी, नई दिल्ली
- मिल, जॉन स्टुअर्ट. (अनु. सक्सेना,प्रगति). (2009). *स्त्रियों की पराधीनता*., राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली
- शर्मा, रमा ; मिश्रा, एम. के. .(2010). *नारी शोषण आइने और आयाम*. अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली
- श्रीवास्तव, ए. आर. एन. ; सिनहा, आनंद कुमार. (1999). *सामाजिक अनुसंधान*. के. के. पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद


## अंग्रेजी की पुस्तकें


- Brown, Robert Mcafee. (1987). *Religion and violence*. The Westminster press, Philadelphiya
- Finley,Laura L. (2013). *Encyclopedia of domestic violence & Abuse.* California
- Hossain, Sara & Welchman, Lynn.(2005). *'HONOUR' Crimes, paradigms and violence against women.* Spinifex press, New York
- Muchembled, Robert.(2012). *A history of violence: from the end of middle age to present*. polity press cambridge,Uk
- Welsh, Jane. (2009). *"It was like burning in Hell":A Comparative Exploration of Acid Attack Violence*. Chapel Hill, UNC Global


## पत्र/पत्रिकाएँ/रिपोर्ट/ शोध पत्र/ रिसर्च जर्नल आदि


- अरोरा, सुधा. *एसिड अटैक और प्रेम की प्रति हिंसा*. (http://raviwar.com), देखा गया 10/04/14, 15:58 बजे
- द *हिंदू* 15.08.2004
- दैनिक भास्कर 8 सितंबर 2013 (नागपुर )

- लोकमत समाचार *दीपावली विशेषांक* (2010), खंड 1, लोकमत न्यूज़पेपर्स प्रा. लि. नागपुर,
- सिन्हा, अंजलि. *चिंता बढ़ाते एसिड हमले*. समरथ, जुलाई-अगस्त 2013
- As Introduced in Loksabha, *THE CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL, 2013*; bill no. 63 of2013
- Avon foundation for women. (2011). *Combating acid violence in Bangladesh, India and Cambodia*.
- Bangladesh e-journal of Sociology. Volume 10 Number 1, January 2013
- Bangladesh research publication journal. volume:9, issue:2, November-December.(2013)
- Begum, Shabina. (2012). *Acid Violence : uniting for the solution Sri Lanka, India and Cambodia*
- Brooks, Abigail & Hesse-Biber& Sharlene Nagy. *An Invitation To Feminist Research.*

(http://www.sagepub.in/upm-data/12935_Chapter1.pdf), देखा गया 10/04/14 16:10

- By LICADHO, *violence against women in Cambodia 2006*, report March 2007
- Cambodia law and policy journal, January 2014
- *Law Commission of India*; Report no 226: july 2009
- Prevension of offence (by Acid ) Act 2008 : (National Commission for Women-Draft Bill)
- Rutherford, Alison & Zawi, Anthony B. & Grove, Natalie j. & Alexander,Butchart.Violence: a glossary.

(http://www.jstore.org/stable/40666133), देखा गया 07/02/2014 07:53

- Teltumbde, Anand.( February 9, 2013 vol xlviii no 6). *Delhi gang rape case some uncomfortable questions*. Economic & Political Weekly
- UN Women, *United nation entity for gender for gender equality and empowerment of women.* Cambodia
- Wetzel , Linda. *Cambodian Cultural Profile*. January 02, 1995

## इंटरनेट

- http://www.acidviolence.org
- http://www.asfi.in
- http://www.acidsurvivors.org
- http://www.aljazeera.com
- http://www.badhatekadam.com
- http://www.bbc.co.uk
- http://blogspotcom-itihas.blogspot.in
- http://bollywood.bhaskar.com
- http://www.cambodianacidsurvivorscharity.org
- http://www.dailymail.co.uk
- http://www.deshbandhu.co.in
- http://en.wikipedia.org
- http://www.epw.in
- http://justiceforwomenindia.wordpress.com
- http://www.jstor.org

- http://khabar.ibnlive.in.com
- http://www.livemint.com
- http://www.lyricsbogie.com
- http://ncrb.nic.in
- http://www.oxforddictionaries.com
- http://www.pnews.in
- http://ramprakashkushwaha.blogspot.in
- http://realtime.wsj.com
- http://www.samayantar.com
- http://www.slate.com
- http://www.spvm.qc.ca
- http://www.srijangatha.com
- http://www.stopacidattacks.org